

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठारीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न०:-078 / 2026

1 भजनलाल पुत्र इन्द्राज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक 4-5 आर. डबल्यू बी.
(मसीतावाली) तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
बनाम वादी

1. शान्ति पत्नी इन्द्राज
2. भूपसिंह } पि० इन्द्राज } जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक 4-5 आर. डबल्यू बी
3. द्वारकादत्त } (मसीतावाली) तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक...17.3.2026.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादी भजनलाल को प्राप्त आराजी- चक नं० 5 आर डबल्यू बी के प०न० 208/336 मु० 11 किलानं० 16/1/.217 है० उतर दिशा, 16/2/.025 है० खाला, 17/241 है० उतर दिशा, 18/1/.110 है० पूर्व दिशा, दक्षिण में रास्ता छोड़कर, 24/.253, 25/.075 है० दक्षिण दिशा, 25/2/.025 है० खाला कुल 0.946 है० मय गै०मु०

ख. प्रतिवादी सं० 2 भूपसिंह को प्राप्त आराजी- चक नं० 5 आर. डबल्यू बी के प०न० 209/337 मु० 23 किलानं० 3/2/.232, 8/1/.232, 13 /.253, प०न० 208/336 मु० 11 किलानं० 25/1/153 उतर दिशा कुल 0.870 है० व इसी चक के खाता सं० 116/4 में अंकित कुल 0.025 है० में से प्रतिवादीया सं० 1 शान्ति का 1/3 हिस्सा

ग.प्रतिवादी सं० 3 द्वारकादत्त को प्राप्त आराजी- चक नं० 5 आर डबल्यू बी के प०न० 208/336 मु० 11 किलानं० 18/1/052 पश्चिम दिशा, 19/2/169 है०, 20/1/.168 है० तथा चक नं० 4 आर. डबल्यू बी के प०न० 208/335 मु० 24 किलानं० 16/.253, 25/2/.228 है० कुल 0.870 है०

घ. वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने अपनी आराजी में आवागमन के लिए चक 5 आर. डबल्यू बी के प०न० 208/336 मु० 11 किलानं० 16/1/.011 है० दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 17/.012 है० दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम तथा 18/1/.007 है० दक्षिण दिशा इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे व चक नं० 4 आर. डबल्यू बी के खाता सं० 3/3 व चक नं० 5 आर डबल्यू बी के खाता सं० 117/4 व इसी चक के खाता सं० 116/4 में से प्रतिवादीया सं० 1 शान्ति का नाम कलमजन किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।